कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा (अम्बिकापुर) छ०ग०

// निविदा सूचना //

क्रमांक 3906/दो–9–6/06, अम्बिकापुर, दिनांक 27 दिसंबर, 2024

प्रति,

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, अम्बिकापुर के न्यायालय कक्षों एवं न्यायाधीश विश्राम कक्षों में संस्थापन हेतु ए0सी0 क्रय किया जाना है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

S.No.	Description	Unit
1	Approved make **2.0 ton** split type Air Conditioner 3 Star Unit with cooling unit **(copper coil)** and condensing unit (copper coil) including 5 years compressor warranty and standard length of upto 3 meter of copper piping with insulation, Stabilizer etc complete as per specification **(Make-Blue Star/Voltas/Daikin/L.G/Samaung)** **and** **Installation** of aforesaid A.C. Unit, cooling unit on wall inside and condensing unit on out side wall/celling/floor at desired locations with existing standard length of copper piping with insulation and good quality MS frame etc. complete as per specification (Extra length of copper piping shall be paid extra on per meter basis)	**06**
2	Approved make **1.5 ton** split type Air Conditioner 3 Star Unit with cooling unit **(copper coil)** and condensing unit (copper coil) including 5 years compressor warranty and standard length of upto 3 meter of copper piping with insulation, Stabilizer etc complete as per specification **(Make-Blue Star/Voltas/Daikin/L.G/Samaung)** **and** **Installation** of aforesaid A.C. Unit, cooling unit on wall inside and condensing unit on out side wall/celling/floor at desired locations with existing standard length of copper piping with insulation and good quality MS frame etc. complete as per specification (Extra length of copper piping shall be paid extra on per meter basis)	**01**

अतः ब्लू स्टार/वोल्टास/डाईकिन/एल.जी./सैमसंग कम्पनियों के निर्माताओं/अधिकृत विक्रेताओं/अधिकृत प्रतिनिधि से उपरोक्त विशिष्टियों वाले एयर कंडीशन प्रदाय किये जाने हेतु **मुहरबंद** निविदाएं निम्नांकित शर्तों के अधीन आमंत्रित की जाती है :–

निविदा की शर्तें एवं नियम निम्नानुसार है :–

01– निविदा में उपरोक्त क्रय किये जाने वाले प्रत्येक ए.सी. की कीमत एवं इंस्टालेशन की राशि **जी.एस.टी. सहित** कुल आवश्यक यूनिट की राशि के योग सहित प्रस्तावित किया जावे। परिवहन, पैकेजिंग या हैंडलिंग के मद में कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगा। इंस्टालेशन एवं उसमें लगने वाले लागत पर विचार हेतु निविदाकार फर्म यदि चाहे तो इंस्टालेशन वाले स्थान का अवलोकन कर सकते हैं और निविदा में निम्न प्रारूप अनुसार राशि उल्लेखित किया जाना आवश्यक है :–

क.	विवरण	राशि प्रति यूनिट	जी.एस.टी.	योग
1	सम्पूर्ण ए.सी यूनिट 2.0 टन			
2	सम्पूर्ण ए.सी. यूनिट 1.5 टन			
3	इंस्टालेशन चार्ज			
4	अतिरिक्त कॉपर पाईपिंग प्रतिमीटर की दर से			
			कुल योग	

क.	विवरण	आवश्यक संख्या
1	ए.सी. यूनिट 1.5 टन, इंस्टालेशन चार्ज एवं अतिरिक्त पाईपिंग सहित एक सम्पूर्ण यूनिट का खर्च जी.एस.टी. सहित	
2	ए.सी. यूनिट 2.0 टन, इंस्टालेशन चार्ज एवं अतिरिक्त पाईपिंग सहित एक सम्पूर्ण यूनिट का खर्च जी.एस.टी. सहित	

(नोटः— कय किये जाने वाली ए0सी0 की आवश्यक संख्या अनुमानित है, ए0सी0 कय की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है)

02— निविदाकार फर्म का कार्यालय/सर्विस सेंटर छत्तीसगढ़ में संचालित हो। (निविदाकार फर्म निविदा प्रपत्र में अपने कार्यालय का नाम, प्रोपराईटर का नाम, ईमेल आईडी एवं मोबाईल नम्बर आवश्यक रूप से अंकित करेंगे।

03— प्रत्येक निविदाकार को अमानत राशि (EMD) के रूप में रूपये 4,050/—(चार हजार पचास रूपये) अदा किया जाना होगा। यह अमानत राशि सफल निवदिाकार के अतिरिक्त अन्य निविदाकार को 15 दिवस मे वापसी योग्य होगी।

04— सफल निविदाकार को सुरक्षानिधि के रूप में रू. 12,150/— (बारह हजार एक सौ पचास रूपये) निविदा स्वीकार किये जाने के 10 दिवस के अंदर जमा किया जाना होगा।

05— यह अमानत राशि/सुरक्षा निधि नगद जमा नहीं लिया जावेगा। यह राशि चालान के मायम से लेखा शीर्ष "8443 सिविल जमा राशियां" अथवा "103 प्रतिभूति जमा" में जमा कर चालान की मूल पावती प्रस्तुत किया जावेगा। अथवा भारतीय स्टेट बैंक या अनुसूचित बैंकों के डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भी राशि जमा की जा सकेगी।

06— यह अमानत राशि/सुरक्षा निधि सामग्री प्रदाय किये जाने एवं उसके संस्थापन उपरांत कार्य संतोषप्रद पाये जाने के उपरांत वापसी योग्य होगी।

07— सफल निविदाकार फर्म को कय आदेश जारी किये जाने के उपरांत 07 कार्य दिवस के भीतर सामग्री प्रदाय किया जाना आवश्यक होगा। इंस्टालेशन, परिवहन, पैकेजिंग या हैंडलिंग के मद में निविदात्मक दर के अतिरिक्त कोई राशि देयक नहीं होगा।

08— निविदा रजिस्टर्ड पोस्ट (एडी) अथवा स्पीड पोस्ट अथवा पी एंड टी विभाग से अधिकृत कोरियर के माध्यम से अथवा जिला न्यायालय कार्यालय में रखे टेंर बॉक्स में व्यक्तिगत रूप से निर्धारित अंतिम तिथि के अंतिम समय तक डाला जा सकता है।

09— बंद लिफाफे/रजिस्टर्ड लिफाफे के उपर "ए.सी. हेतु निविदा प्रस्ताव" स्पष्ट रूप से लिखा जाना आवश्यक है।

10— निविदा आवेदन पत्र व निविदा की शर्ते कार्यालय के वेबसाईट surguja.dcourts.gov.in से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकते हैं।

11— वाणिज्य कर विभाग/जी.एस.टी. का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति निविादा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

12— प्रदाय की गई सामग्री मानक स्तर एवं निविदा सूचना मे दर्शित प्रकार की होना आवश्यक होगी। यदि प्रदाय की गई सामग्री में किसी प्रकार की कमी/खराबी पायी जाती है तो कार्यालय द्वारा उक्त सामग्री को किसी भी समय लौटाई जा सकेगी तथा निविदाकार को खराब सामग्री के स्थान पर दूसरी नयी सामग्री प्रदाय करना होगा।

13— संबंधित फर्म/संस्थान द्वारा सामग्री विक्रय करने हेतु अधिकृत होने के संबधं में आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

14— निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त निविदा प्रपत्रों, ईमेल से प्रेषित निविदा अथवा खुले लिफाफे में प्रेषित निविदा स्वीकार योग्य नहीं होगी। **निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, दिनांक 25/01/2025 को शाम 4.00 बजे तक निर्धारित है। उसके पश्चात दिनांक 28/01/2025 के दोपहर 2.15 बजे क्रय समिति के सदस्यों एवं निविदाकारों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कार्यालय अनुभाग, जिला न्यायालय अम्बिकापुर में निविदा खोली जावेगी, यदि उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में या जितने लोग उपस्थित होगें उनकी उपस्थिति में निविदा खोली जायेगी।**

15— क्रय किये जाने वाले ए.सी. की मेक/कंपनी का निर्धारण क्रय समिति द्वारा गुणवत्ता, दर, सर्विसिंग आदि के आधार पर किया जावेगा।

16— किसी भी निविदाकार के द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी भी निविदा प्रस्ताव में किसी शर्त का उल्लंघन होने अथवा आदेश का पालन नहीं किये जाने पर या अन्य कोई अनियमितता पाये जाने पर उक्त निविदा प्रस्ताव को निरस्त किये जाने का अंतिम अधिकार क्रय समिति का होगा।

27/12/2024

अध्यक्ष
For क्रय समिति
कार्या0—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सरगुजा (अम्बिकापुर)

E:\data sanjay 6-6-2022\Sanjay J\Backup\Uni Kapda\Memo.doc528